प्रेस नोट दिनांक 11.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त छब्बेलाल सोनकर को थाना क्षेत्रान्तर्गत कौशाम्बी जाने वाले रोड पर चौरही बाईपास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह का0 रामलखन यादव व रि0का0 सूरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/ 65 (1) बीएनएस 5(L)/5 (i)(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त छब्बेलाल सोनकर पुत्र अविनाश चन्द उर्फ आल्हा सोनकर नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कौशाम्बी जाने वाले रोड पर चौरही बाईपास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वादी की नाबालिग लडकी को मैं पिछले एक साल से जानता हूं तथा प्यार करता हूँ, वह भी मुझसे प्यार करती है और हम दोनो ने काफी बार आपसी सहमती से शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे । जब उसने यह बात मुझे बतायी तो मैंने दिनांक 02.08.26 को उसके पास फोन कर पास मे आम का बाग जिसको में किराये पर लिया हूँ तथा मैं वहीं रहता था, मे बुलाया और वहीं से उसको साथ लेकर परियाँवा थाना नबावगंज जनपद प्रतापगढ़ लेकर चला गया। जहाँ पर हम दौनो ने शादी कर ली तथा पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे । तथा दिनांक 8.8.26 को मुझे पता चला कि उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ थाने मे मुकदमा लिखवा दिया है तब मैं उसको परियाँवा मे छोडकर आम के बाग में छिपकर रह रहा था, जब मुझे पता चला कि पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है तथा उससे पूछताछ कर रही हैं तब मै पकडे जाने के डर से आज अपनी रिस्तेदारी मे कौशाम्बी जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. छब्बेलाल सोनकर पुत्र अविनाश चन्द उर्फ आल्हा सोनकर नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह का0 रामलखन यादव व रि0का0 सूरज कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 279/2026 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अभय सरोज पुत्र सुरेश सरोज, निवासी ग्राम श्रीनाथपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत भरोखन रोड स्थित पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से छीना गया 01 अदद सैमसंग मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2026 को वादी निवासी ग्राम धनगढ़ सराय छिवलहा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ अपने साइकिल से पृथ्वीगंज बाजार से घर जा रहे थे। पेंट की दुकान के सामने अपने भाई से वार्ता कर रहे थे, तभी पीछे से राइडर मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आए, जिनमें पीछे बैठे अनुभव पाण्डेय पुत्र विजयशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम रामपुर खागल, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, जिसे वादी पूर्व से पहचानता है, द्वारा झपट्टा मारकर वादी का सैमसंग मोबाइल फोन, छीन लिया गया। वादी द्वारा शोर मचाते हुए पीछा किया गया, किंतु आरोपीगण मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 279/26 धारा 304 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद व दो व्यक्ति नाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह मय हमराही का0 शिवराज कन्नौजिया, का0 राहुल कुमार, का0 नवीन कुमार व म0का0 रितु सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 279/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अभय सरोज पुत्र सुरेश सरोज नि0 ग्राम श्रीनाथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत भरोखन रोड़ पर पुलिया से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद छीना हुआ मोबाइल सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 25/06/2026 को मै पृथ्वीगंज बाजार से उड़ईयाडीह पैदल जा रहा था। रामपुरखागल के आगे एक मोटर साइकिल से मै लिफ्ट मांगा तो उस पर पहले से दो लोग बैठे थे। पीछे मैं बैठ गया कुछ दूर आगे जाने पर एक लड़का साइकिल से जा रहा था और अपने कान में मोबाईल लगा कर बात कर रहा था। मै पीछे से चलती मोटरसाईकिल से उसका फोन छीन लिया था। कुछ दूर आगे जाने पर जिसके मोटर साइकिल पर बैठा था वह डर के हमें वहीं उतार कर भाग गये जिनको मै जानता पहचानता नहीं हूँ। फिर मै तेजी से भागते हुये दूसरे मोट रसाइकिल से लिफ्ट लेकर उडैयाडीह आया वहाँ से फिर मै अपने घर आ गया था। मेरा फोन खराब हो गया था। और वह ज्यादातर घर पर ही छोड़ना पड़ता था घर वाले भी उसको प्रयोग करते थे। इस लिये मै लालच में फोन छीन लिया था। छीने हुए मोबाइल में पड़े सिम को निकाल कर फेक दिया था और दिनांक 29/06/2026 को मै अपना सिम डाल दिया जब मै अपने दोस्तो से चर्चा किया तो मेरे दोस्त ने बताये कि अपना सिम डाले हो पुलिस पकड़ सकती है फिर मै दिनांक 07/07/2026 को अपना सिम निकाल दिया अब मै इसे बेचने के फिराक में था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभय सरोज पुत्र सुरेश सरोज नि0 ग्राम श्रीनाथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद छीना हुआ मोबाइल सैमसंग मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह मय हमराही का0 शिवराज कन्नौजिया, का0 राहुल कुमार, का0 नवीन कुमार व म0का0 रितु सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के अभियोग में प्रकाश में आए विधि की अवज्ञा करने वाले बालक को संरक्षण में लिया गया-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित विधि की अवज्ञा करने वाले बालक को लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर नहर के पास मिलिट्री ग्राउण्ड, बहद ग्राम लाटतारा से संरक्षण में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह का0 राजेश प्रजापति, रि0का0 राहुल पटेल एवं रि0म0का0 हर्षिता गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित एवं विधि की अवज्ञा करने वाले बालक की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर नहर के पास मिलिट्री ग्राउण्ड, बहद ग्राम लाटतारा से अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में बालक द्वारा बताया गया कि वह संबंधित नाबालिग बालिका को पूर्व से जानता था तथा दिनांक 12.07.2026 को उसे प्रयागराज बुलाकर अपने साथ ट्रेन से बाहर ले गया था। बाद में परिजनों की जानकारी होने पर बालिका को मुम्बई स्टेशन पर छोड़ दिया था। वर्तमान में वह मुम्बई जाने के लिए कुण्डा की ओर जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे संरक्षण में लिया गया।

विधि की अवज्ञा करने वाले बालक के संरक्षण की सूचना उसके परिवारीजनों को दी गई तथा नियमानुसार आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

विधि की अवज्ञा करने वाले बालक का विवरण-
01 बाल अपचारी

पुलिस टीम-
उ0नि0 रोहित यादव, का0 राजेश प्रजापति, रि0का0 राहुल पटेल एवं रि0म0का0 हर्षिता गुप्ता, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में वांछित 01 अभियुक्त सोनू पांचाल को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को मां बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रकरण में वादी निवासी सरोज चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। वादी के अनुसार उसकी पुत्री की जन्मतिथि 10.08.2007 है तथा घटना के समय वह नाबालिग थी। आरोप है कि अभियुक्त सोनू पांचाल पुत्र देवेन्द्र पांचाल निवासी खजूर कालोनी, गली नं0 25, सदरपुर, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिनांक 02.01.2025 को प्रतापगढ़ से अपने साथ ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाबालिग पीड़िता की जन्मतिथि 01.01.2003 दर्शाते हुए दिनांक 15.01.2025 को गाजियाबाद में विवाह पंजीकरण कराया गया तथा फर्जी जन्मतिथि के आधार पर आर्य समाज वैदिक विवाह संस्कार ट्रस्ट में विवाह संबंधी दस्तावेज भी तैयार कराए गए।

उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 163/26 धारा 64(1), 351(3), 187, 137(2), 318(4), 127(2) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल व का0 प्रदीप भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था।

इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त सोनू पांचाल पुत्र देवेन्द्र पांचाल इस समय मां बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ के बाहर कहीं जाने की फिराक में बैठा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा अभियुक्त की पहचान कराए जाने के पश्चात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सोनू पांचाल पुत्र देवेन्द्र पांचाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी खजूर कालोनी, गली नं0 25, सदरपुर सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा बताया। अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में वांछित होने के कारण हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सोनू पांचाल पुत्र देवेन्द्र पांचाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी खजूर कालोनी, गली नं0 25, सदरपुर सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 163/26 धारा 64(1), 351(3), 187, 137(2), 318(4), 127(2) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल व का0 प्रदीप भारद्वाज, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह का० शिवराम मिश्रा, रि0का0 सचिन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ द्वारा जारी आदेशिका मु0न0 1536/2022 मु0अ0सं0 88/2008 धारा 323/504/506 भादवि थाना- लालगंज से सम्बन्धित 01 अभियुक्त राम सुमेर निवासी ग्राम - लाखूपुर, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राम सुमेर निवासी ग्राम - लाखूपुर, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह का० शिवराम मिश्रा, रि0का0 सचिन यादव थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर के उ0नि0 देवेंद्र कुमार पाठक मय हमराह कांस्टेबल आशीष द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0 नं0 session case 2027/2023 राज्य सरकार बनाम कुंवर बहादुर सिंह मु0अ0सं0 48/2023 धारा 8/20NDPS ACT थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त, कुंवर बहादुर सिंह उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी ग्राम जगदीशगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत जगदीशगढ़ चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. कुंवर बहादुर सिंह उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी ग्राम जगदीशगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम -
उ0नि0 देवेंद्र कुमार पाठक मय हमराह कांस्टेबल आशीष थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराह का0 हिमांशु पौनिया व का० योगेश कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 299/2001 धारा-332/353/323/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त कमरूद्दीन पुत्र साबित अली उम्र करीब 46 वर्ष निवासी आजादनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. कमरूद्दीन पुत्र साबित अली उम्र करीब 46 वर्ष निवासी आजादनगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 निर्मल कुमार मय हमराह का0 हिमांशु पौनिया व का० योगेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट के क्रम में 02 वारण्टी अभियुक्तों को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त ऑनलाइन वारण्ट के आधार पर अभियुक्तगण की तलाश की गई। इसी क्रम में उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0का0 यादवेन्द्र यादव द्वारा गुधुन प्रसाद पुत्र राम स्वरूप, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी बरबसपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ तथा उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा मुरली विश्वकर्मा पुत्र राजबहादुर विश्वकर्मा, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी औतारपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1. गुधुन प्रसाद पुत्र राम स्वरूप, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी बरबसपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
2. मुरली विश्वकर्मा पुत्र राजबहादुर विश्वकर्मा, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी औतारपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0का0 यादवेन्द्र यादव एवं उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।